समक्ष सदस्य राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

सर्किट कोर्ट रीवा (म. प्र.)

504
25-8-14

R-3380-III/14

1. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी रामराज सोनकर निवासी ग्राम गाढ़ा–138 थाना व तहसील जवा जिला रीवा म. प्र.
2. श्रीमती कुसुमकली पत्नी रामसागर सोनकर निवासी ग्राम गाढ़ा–138 थाना व तहसील जवा जिला रीवा म. प्र.
3. रामराज सोनकर तनय दद्वेराम सोनकर, पेशा खेती व नौकरी, निवासी ग्राम गाढ़ा–138 थाना व तहसील जवा जिला रीवा म. प्र.
4. रामसागर सोनकर तनय सुखई सोनकर पेशा खेती व नौकरी निवासी ग्राम गाढ़ा–138 थाना व तहसील जवा जिला रीवा म. प्र. ....

.... **आवेदकगण**

श्री वीरेन्द्र सिंह एडवो. एड द्वारा आज दिनांक.. 25-8-14 के प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 3075
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ________ को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम्

दयाशंकर पाण्डे तनय रामशिरोमणि पाण्डे निवासी ग्राम बरौली पाड़ेन, पोस्ट गाढ़ा'138 थाना व तहसील जवा जिला रीवा म. प्र. .... **अनावेदक**

निगरानी विरूद्ध आदेश एवं पुष्टीकरण कार्यवाही राजस्व निरीक्षक मण्डल अतरैला तहसील जवा दिनांक 13.06.13 जरिए प्रकरण क्र. 35अ12/2012–13 बावत सीमांकन आराजियात स्थित ग्राम गाढ़ा–138 तहसील जवा जिला रीवा म. प्र., निगरानी अन्तर्गत धारा 50(1) म. प्र. भू–रा. संहिता वर्ष 1959।

मान्यवर,

निगरानी याचिका के आधार निम्नलिखित हैं:–

1. यहकि मातहत अधिकारी (राजस्व निरीक्षक) की सीमांकन कार्यवाही अन्तर्गत धारा 129 म. प्र. भू. रा. संहित वर्ष 1959, खिलाफ विधि प्रक्रिया एवं शहादत के होने से काबिल निरस्तगी है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 3380-III/14 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-7-15	- आवेदक की ओर से श्री शिवशरण प्रसाद वरि. एड0 उप0। - माननीय सदस्य महो. का आज दौरा आगमन नहीं हो सका। - अतः कार्यवाही पर रहे। C.F. 18.9.15	
15-9-15	प्रकरण शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर लिया गया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। 2- प्रकरण के अवलोकन करने पर पाया गया कि सूचना-पत्र, पंचनामा पर निगरानी कर्ता क्र. 4 के तो हस्ताक्षर हैं, किन्तु निगरानी कर्ता क्र. 1, 2, व 3 के हस्ताक्षर नहीं हैं। इसके प्रकाश में सर्व प्रथम यह बिन्दु स्पष्ट होता है कि रामसागर द्वारा अनुचित रूप से निगरानी लगाई गई है उनके सूचना-पत्र में हस्ताक्षर हैं। जहां तक निगरानीकार क्र. 1 से 3 का प्रश्न है। हालांकि उनके हस्ताक्षर सूचना-पत्र एवं पंचनामे पर नहीं हैं किन्तु उनके द्वारा निगरानी मेमो में यह स्पष्ट नहीं किया	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

→ किया गया है कि वे प्रकरण में सीमावर्ती कृषक व हितबद्ध पक्षकार किस तरह से हैं। यदि चारों निगरानीकर्ता के संयुक्त खाते की भूमि है, तो रामसागर को सूचना व उपस्थिति के कारण निगरानी इसी स्टेज पर खारिज किये जाने पर विचार किया जा सकता है। यदि अलग-अलग निगरानी चार के अलग-अलग खसरा नं., ख.नं. हैं, तो उनके द्वारा निगरानी आवेदन में खुलासा नहीं करना अनुचित है।

3. उपरोक्त कारण से यह प्रकरण तहसीलदार को इन निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे चारों निगराकारों एवं सीमावर्ती कृषकों व हितबद्ध पक्षकारों को इस बाबत दावा दायर करने हेतु अवसर दें कि यदि वे सीमावर्ती कृषक व हितबद्ध पक्षकार हैं, तो किस आधार पर हैं। यदि सीमावर्ती कृषक / हितबद्ध पक्षकार पाये जाते हैं तो तहसीलदार यह देखे कि क्या किसी कित सीमांकन की पुष्टि के आदेश दिनांक 13.6.13 द्वारा उनके वैधानिक हित किसी अनुचित रूप से

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 3380-III/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	→ प्रभावित हुए हैं या नहीं, तब तक के लिए आदेश दिनांक 13.6.13 स्थगित रखें। 4- पक्षकारों द्वारा भूमियों के क्रय-विक्रय सम्बन्धी गतिविधियों को भी विचार में लें एवं समस्त हित बद्ध पक्षकारों की भूमियों के सर्वे नं. एवं रकबा स्पष्ट करते हुए न्यायपूर्ण तरीके से सीमांकन के पहले विधिवत तरमीम होना सुनिश्चित करें। यदि यह सब पहले नहीं किया गया हो तो अब पूर्ण कर लें। यह सब कार्यवाही, यह निर्णय सम्प्रेषित होने के तीन माह के अन्दर करना सुनिश्चित करें। 5 उपरोक्त प्रकार कार्यवाही के आधार पर सीमांकित भूमि एवं उसके सीमावर्ती कृषकों के हित विधिवत सुरक्षित करना सुनिश्चित करें। यदि उपरोक्त सुनवाई एवं जांच के उपरान्त अ.वि.अ. दि. 13.6.13 को →	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	निरस्त करने की आवश्यकता हो, तो तत्संबंध में योग्य निर्णय लें, ताकि सभी हित बद्ध पक्षकारों को न्याय मिलना संभव हो। 6. प्रकरण में अन्य कोई विचार योग्य तथ्य न होने से इसी क्रम पर समाप्त किया जाता है। 7. प्रकरण पक्षों से वापिस किया जावे। आदेश की प्रति तहसीलदार को भेजी जाय। तत्पश्चात प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जाय। सदस्य.	